न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 3321–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–04–2014 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण कमांक 5(1)/2013–14/1316

.....

मैसर्स ओयसिस डिस्टलरीज लिमिटेड
खौडीग्राम बोराली जिला धार म0प्र0

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

1–आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर

2–उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता ग्वालियर/इंदौर

3–सहायक आबकारी अधिकारी जिला शिवपुरी

4–जिला आबकारी अधिकारी
ओयसिस डिस्टलरीज लिमिटेड बोराली जिला धार

..... प्रत्यर्थीगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री एच.के.अग्रवाल, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण शासन

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/7/15 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 62 के अंतर्गत आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–04–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी कम्पनी मैसर्स ओयसिस डिस्टलरीज लिमिटेड, खौडीग्राम बोराली जिला धार को वर्ष 2011–12 में देशी मदिरा की बॉटलिंग करने हेतु सी.एम.1–ख लायसेंस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5(1)/2011–12/1850–51 दिनांक 31–5–2011 से स्वीकृत किया गया था । आसवक को मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 3–ख(10) के अनुसार भवन का निर्माण एवं सयंत्र तथा मशीनरी स्थापित करने का कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र व स्थानीय निकाय, नगर तथा नगर निवेश विभाग व मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का सम्मति पत्र एवं राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग से अपेक्षित अधिप्रमाणन या निर्बाधा प्रमाण पत्र व काउंटर पार्ट एग्रीमेंट रुपये 250/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था परन्तु अपीलार्थी द्वारा काउंटर पार्ट एग्रीमेंट तो प्रस्तुत कर दिया था, परन्तु अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये । इस पर कार्यालय के द्वारा प्रदाय संविदाकार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था । जिसके जबाव में अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि भवन निर्माण एवं सयंत्र तथा मशीनरी स्थापित करने का कार्य पूर्ण होने की जानकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है । स्थानीय निकाय नगर तथा नगर निवेश की जानकारी प्रस्तुत की जा चुकी है । मध्यप्रदेश प्रदूषण बोर्ड की संपत्ति के संदर्भ में आसवनी द्वारा आवेदन दिया है और आवेदन स्वीकृत हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के जबाव पर विचारोपरांत समाधानकारक न पाते हुये पारित आदेश दिनांक 11–4–2014 से अपीलार्थी कम्पनी को ग्राम बाछौरा जिला शिवपुरी द्वारा मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के उपरोक्त वर्णित नियम 3–ख(10) में उल्लेखित शर्तो का उल्लघंन मानकर रुपये 50,000/– शास्ति अधिरोपित की जाकर संविदाकार द्वारा ग्राम बाछौरा जिला शिवपुरी में देशी मदिरा की बॉटलिंग के लिये मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की सहमति पत्र एवं नगर तथा नगर निवेश विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिये 10 जून 2011 से 22 जुलाई 2013 तक कुल 774 दिवस नियम 3 ख(10) उल्लेखित शर्तो का उल्लघंन किये जाने पर प्रथम 06 माह जून 2011 से नवम्बर 2011 तक

174 दिवस शर्तो का उल्लघंन करने के लिये 100 रुपये प्रतिदिन के मान से कुल रुपये 17,400/– द्वितीय 06 माह दिसम्बर 2011 से मई 2012 तक 183 दिवस शर्तो का उल्लघंन करने के लिये रुपये 125 प्रतिदिन के मान से कुल रुपये 22,875/– एवं जून 2012 से जुलाई 2013 तक कुल 417 दिवस शर्तो का उल्लघंन करने के लिये रुपये 150/– प्रतिदिन के मान से रुपये 62,550/– इस तरह कुल रुपये 1,52,825/– की शास्ति अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील मेमों में उठाये गये आधारो को ही अंतिम बहस बताया गया । अपील मेमों में बताया कि अपीलार्थी कम्पनी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कारण बताओं सूचना पत्र का स्पष्ट जबाव प्रस्तुत कर बताया था कि भवन निर्माण एवं सयंत्र तथा मशीनरी स्थापित करने का कार्य पूर्ण होने की जानकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। स्थानीय निकाय नगर तथा नगर निवेश की जानकारी भी प्रस्तुत की गई थी । मध्यप्रदेश प्रदुषण बोर्ड की सम्पत्ति के संदर्भ में आसवनी द्वारा सम्पत्ति पत्र हेतु आवदेन किया था व आवेदन स्वीकृत भी हुआ था जिसको नजर अंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर शास्ति अधिरोपित की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है बल्कि जो भी त्रुटि हुई है वह व्यवस्थाओं का दोष है जो अपीलार्थी कम्पनी पर नहीं लगाया जा सकता है । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा लायसेंस की किसी भी शर्त का उल्लघंन नहीं किया है, बल्कि लायसेंस की शर्तो का विधिवत् पालन कर जो कार्यवाही की गई है उससे राज्य सरकार को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है फिर भी अधीनस्थ न्याायलय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर रुपये 1,52,825/– रुपये की शास्ति अधिरोपित करने में त्रुटि की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–4–14 अपास्त किया जाये।

4/ प्रतिउत्तर में शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत् शासन नियमों का पालन करते हुये पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार इस अपील में नहीं है, अतः अपील खारिज की जाये ।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आबकारी आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलार्थी इकाई को मध्य प्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 3–ख(10) में उल्लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया था, परंतु अपीलार्थी इकाई द्वारा काउंटर पार्ट एग्रीमेण्ट तो प्रस्तुत किया गया परंतु अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये । म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भोपाल का सम्मति पत्र भी अत्यंत विलम्ब से वर्ष 2011–12 एवं 12–13 की अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तुत किया गया । अपीलार्थी इकाई द्वारा ग्राम बाछौरा जिला शिवपुरी में देशी मदिरा की बॉटलिंग करने हेतु इकाई के पक्ष में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा विलम्ब से अन्नापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार अपीलार्थी इकाई द्वारा मध्य प्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 3–ख(10) में उल्लिखित शर्तो का उल्लंघन किये जाने से आबकारी आयुक्त द्वारा अपीलार्थी इकाई पर शास्ति अधिरोपित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारितआदेश दिनांक 11–4–2014 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर